



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर ब्यावर जिला-अजमेर
पीठासीन अधिकारी - श्री जसमीत सिंह संधू (आई.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 107/2017

श्री हरिलाल लगभग उम्र 49 वर्ष पुत्र श्री चतराराम जी, जाति - रेगर, निवासी
ग्राम उदयपुर रोड चुंगी नाका, इन्द्रानगर कॉलोनी, भोजपुरा, तहसील ब्यावर
जिला अजमेर (राज.)

.....वादी

बनाम

- 1- श्री गोपाल वयस्क पुत्र श्री कुन्दन जी
- 2- श्री महावीर वयस्क पुत्र श्री कुन्दन जी
- 3- श्रीमति भंवरी देवी वयस्क पत्नि श्री कुन्दन जी समस्त जाति रेगर निवासी
नरबदखेडा तहसील ब्यावर जिला अजमेर (राज.)
- 4- श्रीमति नरबदा वयस्क पुत्री श्री कुन्दन जी पत्नि श्री नेनूराम जी जाति रेगर
निवासी बाडिया भऊ पोस्ट बगडी कलालिया तह. रायपुर जिला पाली (राज.)
- 5- श्रीमति कान्ता वयस्क पुत्री श्री कुन्दन जी पत्नि श्री नरेन्द्र जी जाति रेगर
निवासी बिस्कट फेक्ट्री के पास सेन्दडा तहसील रायपुर जिला पाली (राज.)
- 6- राज्य सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार ब्यावर (राज.)
- 7- श्रीमान् उपपंजीयक महोदय, तहसील कार्यालय, ब्यावर (राज.)
- 8- राज्य सरकार जरिये जिला कलेक्टर महोदय, ब्यावर (राज.)

.....प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

अंतिम निर्णय

दिनांक 15-04-2019

प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा दि. 01-06-2018 को विभाजन की अंतरिम/
प्रारंभिक डिक्री पारित कर आदेश दिया गया कि - "वादी का वाद विरुद्ध प्रतिवादी
संख्या 1 लगायत 5 स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम
नरबदखेडा पटवार क्षेत्र नरबदखेडा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र नरबदखेडा तहसील
ब्यावर जिला अजमेर (राज.) की आराजी खसरा संख्या 1514 रकबा 02-12-00 बा.1
का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के मध्य उनके चले आ रहे हिस्से अनुसार
वाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं। वादी
एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 के हिस्सेनुसार पृथक पृथक खाते एवं कब्जा
कायम किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं तथा नक्शा ट्रेस में अलग अलग रंग
से दर्शित करते हुये तथा किसी पक्षकार द्वारा अपना हिस्सा विक्रय किये जाने की
स्थिति में क्रेता का नाम अंकित करते हुये तथा किसी पक्षकार की मृत्यु होने की दशा
में उसके विधिक वारिसान की जांच कर वारिसान के नाम अंकित करते हुये बंटवारा
प्रस्ताव प्रस्तावित किये जाने के आदेश तहसीलदार ब्यावर को दिये जाते हैं, कि
उक्तानुसार बंटवारा प्रस्ताव प्रस्तुत करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे।"

तहसीलदार ब्यावर ने अपने पत्रांक/भूअ./2017/4887 दिनांक 17.09.2018
से बंटवारा प्रस्ताव प्रस्तुत किये। उक्त बंटवारा प्रस्ताव पर अधिवक्ता वादी की
एकपक्षीय बहस सुनी गई जिन्होंने यथाप्रस्ताव बंटवारा की अंतिम डिक्री जारी किये
जाने पर सहमति व्यक्त की। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन
यथाप्रस्ताव बंटवारा स्वीकार योग्य पाया जाता है, अतः स्वीकार किया जाता है तथा
प्रकरण में नरबदखेडा पटवार क्षेत्र नरबदखेडा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र नरबदखेडा
तहसील ब्यावर जिला अजमेर (राज.) की आराजियात का बंटवारा प्रस्ताव अनुसार
निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
1	हरिलाल वल्द चतराराम कौम रेगर सा. उदयपुर रोड चुंगी नाका इन्द्रानगर भोजपुरा खातेदार के हिस्से में रखा जाता है जिसे राजस्व नक्शा ट्रेस में लाल रंग से दर्शाया गया है।	1514/2	01-06-00	वा.1	0.13

.....लगातार

(जसमीतसिंह संधू)

उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलेक्टर
ब्यावर



क्र. सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा	किरम	लगान
1	गोपाल, महावीर पि. कुन्दन नरबदा, कान्ता पुत्रियां कुन्दन भंवरीदेवी पत्नि स्व. कुन्दन कौम रेगर सा. देह खातेदार के हिस्से में रखा जाता है जिसे राजस्व नक्शा ट्रेस में नीले रंग से दर्शाया गया है।	1514/1	01-06-00	बा.1	0.12

यथानुसार तहसीलदार ब्यावर को राजस्व अभिलेखों में दर्ज किये जाने तथा राजस्व नक्शा ट्रेस में यथानुसार तरमीम किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं। उभयपक्षान खातेदारान को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे स्वयं के हिस्से में आई भूमियों के अतिरिक्त अन्य की भूमियों में किसी प्रकार की दखलंदाजी उत्पन्न नहीं करेंगे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे। यथानुसार अंतिम डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 15-04-2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(जसवीर सिंह संघ)
(जसवीर सिंह संघ)
ओ. डी. ए. एस.
उप-डायरेक्टर एवं सहायक कलेक्टर
ब्यावर
सहायक कलेक्टर, ब्यावर

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्बदाई
(ओ. 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, मुकाम ब्यावर
व अजलाम जसमीत सिंह संघु आई. ए. एस.

राजस्व वाद संख्या 107/2017

श्री हरिलाल लगभग उम्र 49 वर्ष पुत्र श्री चतराराम जी, जाति - रेगर, निवासी ग्राम उदयपुर रोड चुंगी नाका इन्द्रानगर कॉलोनी भोजपुरा तहसील ब्यावर जिला अजमेर (राज.)वादी

बनाम

- 1- श्री गोपाल वयस्क पुत्र श्री कुन्दन जी
- 2- श्री महावीर वयस्क पुत्र श्री कुन्दन जी
- 3- श्रीमति भंवरी देवी वयस्क पत्नि श्री कुन्दन जी समस्त जाति रेगर निवासी नरबदखेडा तहसील ब्यावर जिला अजमेर (राज.)
- 4- श्रीमति नरबदा वयस्क पुत्री श्री कुन्दन जी पत्नि श्री नेनूराम जी जाति रेगर निवासी बाडिया भऊ पोस्ट बगडी कलालिया तह. रायपुर जिला पाली (राज.)
- 5- श्रीमति कान्ता वयस्क पुत्री श्री कुन्दन जी पत्नि श्री नरेन्द्र जी जाति रेगर निवासी विस्कट फेक्ट्री के पास सेन्दडा तहसील रायपुर जिला पाली (राज.)
- 6- राज्य सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार ब्यावर (राज.)
- 7- श्रीमान् उपपंजीयक महोदय, तहसील कार्यालय, ब्यावर (राज.)
- 8- राज्य सरकार जरिये जिला कलेक्टर महोदय, ब्यावर (राज.)

.....प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू बहाजरी.....मिनजामिन मुददई रूबरू.....मिनजामिन मुददायलह पेश हुकम दिया जाता है कि, यथाप्रस्ताव बंटवारा स्वीकार योग्य पाया जाता है, अतः स्वीकार किया जाता है तथा प्रकरण में नरबदखेडा पटवार क्षेत्र नरबदखेडा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र नरबदखेडा तहसील ब्यावर जिला अजमेर (राज.) की आराजियात का बंटवारा प्रस्ताव अनुसार निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
1	हरिलाल वल्द चतराराम कौम रेगर सा. उदयपुर रोड चुंगी नाका इन्द्रानगर भोजपुरा खातेदार के हिस्से में रखा जाता है जिसे राजस्व नक्शा ट्रेस में लाल रंग से दर्शाया गया है।	1514/2	01-06-00	वा.1	0.13
1	गोपाल, महावीर पि. कुन्दन नरबदा, कान्ता पुत्रियां कुन्दन भंवरीदेवी पत्नि स्व. कुन्दन कौम रेगर सा. देह खातेदार के हिस्से में रखा जाता है जिसे राजस्व नक्शा ट्रेस में नीले रंग से दर्शाया गया है।	1514/1	01-06-00	वा.1	0.12

यथानुसार तहसीलदार ब्यावर को राजस्व अभिलेखों में दर्ज किये जाने तथा राजस्व नक्शा ट्रेस में यथानुसार तरमीम किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं। उभयपक्षान खातेदारान को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे स्वयं के हिस्से में आई भूमियों के अतिरिक्त अन्य की भूमियों में किसी प्रकार की दखलंदाजी उत्पन्न नहीं करेंगे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे।

निजी.....मुबलिक.....बाबत.....खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरहफीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाधि तक.....की अदा करें। बहस्व मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 15-04-19 को जारी किया गया।



(जसमीत सिंह संघु)
(जसमीत सिंह संघु)
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलेक्टर
सहायक कलेक्टर, ब्यावर
.....लगाता

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. रुपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामिल कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	



(जसमीत सिंह संधु)
(जसमीत सिंह संधु)
सहायक अधिवक्ता सी.एस.डी. कोर्ट
सहायक कलक्टर, ब्यावर

